श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–28.02.2024 (बुधवार) को समिति कार्यालय रांची में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 66वीं बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति :– बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	उपस्थित
2.	श्री अनंत कुमार, उप सचिव, (माध्यमिक शिक्षा) स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री कपिलदेव पंडित, अवर सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत) सदस्य, वित्त विभाग, झारखण्ड रांची।	सदस्य	उपस्थित
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	सदस्य	अनुपस्थित
5.	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सेवा–निवृत्त, सह–शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
6.	डॉ. प्रसाद पासवान, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य–सचिव	उपस्थित
7.	श्री मुरलीधर कोटवार, सह–शिक्षक, सेवा–निवृत्त, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	उपस्थित
8.	डॉ. अशोक चौधरी, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	उपस्थित

02. कार्यसूची की मद संख्या–01 : कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 60वीं से 65वीं बैठक में हुई कार्यवाही एवं निर्णय जिनका अनुपालन अभी तक लम्बित है पर कृत कार्रवाई पूर्ण कर अगले बैठक में प्रतिवेदन के माध्यम से रखने का सर्वसम्मति से निदेश एवं निर्णय प्राचार्य, सह सदस्य सचिव को दिया गया।

03. कार्यसूची की मद संख्या –03 : विगत वर्षो में सरकार द्वारा सृजित एवं समिति स्तर से विधिवत रूप से संविदा पर नियुक्त किए गए चतुर्थवर्गीय कर्मियों में से कुछेक की कार्य के दौरन आकास्मिक मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके अश्रित परिवारों में से किसी एक योग्य सदस्य को पारिवारिक भरण–पोषण हेतु श्रम एवं नियोजन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम दैनिक मजदूरी पर विद्यालय में रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

04. कार्यसूची की मद संख्या–04 : माननीय उच्च न्यायलय द्वारा अनुकम्पा के आधार पर संविदा में चतुर्थवर्गीय पदों पर कार्यरत पांच कर्मियों की सेवा स्थायीकरण के संबंध में विधिक परामर्श विधि विभाग/महाधिवक्ता झारखण्ड सरकार से विधिक परामर्श लेने के उपरांत इस संबंध में निर्णय लेने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

05. कार्यसूची की मद संख्या–05 : विद्यालय में अध्यायनरत दैनिक छात्राओं के लिए ग्रीष्मकालीन ड्रेस कोड के रूप में स्लीव लेस बंडी कोट लागू करने का सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

06. कार्यसूची की मद संख्या–07 : वर्तमान में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार स्तर से विद्यालय मुख्य भवन, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों के जीर्णोद्धार हेतु कियाशील कार्यो के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार के पत्रांक– 227, दिनांक– 19.02.2024 एवं झारखण्ड कोषागार के नियमानुसार मार्च 2024 में प्रत्यार्पित होने वाले योजना मद में शेष बची राशि रू. 3,00,00,000.00 (तीन करोड़ मात्र) को इस शर्त के साथ कार्यपालक अभियंता को स्थानांतरित करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी

Santosh

गई कि दिनांक- 31.03.2024 तक मजदूरों की संख्या बढ़ा कर अधिकतम कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

07. कार्यसूची की मद संख्या-08 : शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या- 02/2024 के प्रारुप पर घटनोत्तर स्वीकृति/अनुमोदन सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

08. कार्यसूची की मद संख्या-09 : कार्य की आवश्यकता को देखते हुए नई मोटरगाड़ी के क्रय मद में शेष बची सम्पूर्ण राशि रू. 8,90,000.00 (आठ लाख नब्बे हजार मात्र) से सरकारी नियमानुसार मात्र राशि रू. 5,00000.00(पांच लाख मात्र) राशि का पुर्नविनियोग कर व्यवसायिक मद में किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

09. कार्यसूची की मद संख्या-12 : विद्यालय के छात्रों के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में CBSE मापदण्डों को अनुसार संविदा के आधार पर एक काउन्सलर एवं खेल शिक्षक/प्रशिक्षक रखने के लिए प्राचार्य, सह सदस्य सचिव को अगले समान्य निकाय की बैठक में प्रस्ताव रखने के लिए सर्वसम्मति से प्रधिकृत किया गया।

10. कार्यसूची की मद संख्या-13 : शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या- 02/2024 में वर्ष 2021 में पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आवेदकों के आयु सीमा में One-time (तीन वर्ष की)छूट दिये जाने की कार्योत्तर/घटनोत्तर स्वीकृति सर्वम्मति से प्रदान की गई।

11. कार्यसूची की मद संख्या-17 : श्री रविरंजन, शिक्षक एवं डॉ. सेवन्ती तिर्की, शिक्षिका के बीच दो वर्षों से घटित घटनाओं और उससे उत्पन्न आश्रम की अराजकता और विद्यालय की प्रतिष्ठा पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव और विभिन्न समितियों के जाँच प्रतिवेदन पर विचार किया गया। दोनों के अहं के टकराव और एक-दूसरे को मानसिक प्रतारणा के उद्देश्य से तरह-तरह की घटनाएँ होती चली गयी। परिणामस्वरुप छात्रों, आश्रम व्यवस्था तथा विद्यालय प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा। समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि दोनों आश्रमाध्यक्षों को आश्रमाध्यक्ष के पद से मुक्त किया जाए। उक्त निर्णय का अनुपालन सम्बंधित शिक्षकों द्वारा एक सप्ताह के अन्दर न करने की स्थिति में

Santosh

अनुशासनात्क सभी कार्रवाई हेतु प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

12. कार्यसूची की मद संख्या– 19 : अतिक्रमण की बढ़ती घटनाओं के कारण विद्यालय को आए दिन भूमि विवादों का सामना करना पड़ रहा है, अतः उक्त हेतु विद्यालय के सम्पूर्ण परिसर का पूर्ण घेराबंदी के संदर्भ में सम्यक विचार उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय पूर्ण रूप से सरकार का है अतः इस पर कृत कार्यवाई हेतु सम्बंधित उच्च सरकारी पदाधिकारियों से पत्राचार एवं समन्वय स्थापित कर कृत कार्यवाई हेतु प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को प्रधिकृत किया गया।

13. कार्यसूची की मद संख्या–22 : विद्यालय हित में भूमि संबंधित कार्यो के निष्पादन हेतु श्रम विभाग झारखण्ड सरकार के नियमानुसार दैनिक पारिश्रमिक पर कार्य आधारित आवश्यकता के अनुसार आमीन रखने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

14. कार्यसूची की मद संख्या–25 : कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 65वीं बैठक के निर्णय के आलोक में विद्यालय के विधिक कार्यो हेतु श्री राहुल कुमार एवं श्री अंजनी कुमार अधिवक्ता झारखण्ड उच्च न्यायालय को अनुबंधित करने की कार्योत्तर संपुष्टि सर्वसम्मति से की गई।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Santosh 29-2-2021

(संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।